न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/रसद/30/2018

इन्द्रदत्त पाण्डे उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 14 व 16 कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर

..... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर .....रेस्पो0

प्रथम अपील विरुद्व आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 09–03–2018 प्रकरण संख्या 88/17 व 123/17 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थितिः–

1–पंकज कुमार ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी के निर्णय के खिलाफ जो कानून व रिकॉर्ड के विपरीत है, काबिल खारिज है। जिला रसद अधिकारी ने आज्ञा देने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अपीलान्ट को आज्ञा देने से पूर्व सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था ऐसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आज्ञा पारित की है जो कि काबिल खारिज है। प्रकरण संख्या 88/2017 में पारित आज्ञा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत है अपीलान्ट ने स्वयं प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पत्नी की तबीयत खराब रहने के कारण वो नवम्बर 2017 में राशन का वितरण नहीं कर सकता। अपीलांट के प्रार्थना पत्र के बाद अन्य राशन डीलर को अटैचमेन्ट देर अपीलान्ट के वार्ड में राशन वितरण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आज्ञा पारित की है जो कि काबिल खारिज है। प्रकरण संख्या 123/2017 में अपीलांट को ना तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और ना ही जबाब आदि प्रस्तुत करने का मोका दिया गया।

अपीलान्ट ने परिवादी को राशन वितरण नहीं किया। अपीलान्ट ने किस माह में दुकान नहीं खोली। किस किस उपभोक्ता को राशन नहीं दिया इस बाबत कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 09.03.2018 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक की लिखित बहस पेश की। ई.ओ. पेरोकार की बहस सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक ने अपने लिखित बहस में जाहिर किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आज्ञा पारित की है जो कि काबिल खारिज है। अपीलान्ट ने किस माह में दुकान नहीं खोली किस किस उपभोक्ता को राशन नहीं दिया। इस बाबत कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। दिनांक 09.03.2018 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर पर विभागीय प्रकरण 123 / 2017 में अप्रार्थी डीलर के द्वारा उचित मूल्य दुकान समय पर नहीं खोलने तथा उपभोक्ताओं को गेंहू नहीं देने का आरोप था। तथा विभागीय प्रकरण संख्या 88 / 2017 में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब के विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर जानबूझ कर नियंत्रित सामग्री का वितरण नहीं करना चाहता है। अप्रार्थी डीलर ने अंकित किया है कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य सही नहीं हो जाता तब तक मैं कार्य नहीं कर सकता हूं। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11 का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा

अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। अपीलांट अभिभाषक की लिखित बहस व रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 2,11,का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official